of Uttar Pradesh are in various stages of progress.

(b) Nil.

(c) Works in this regard are already in progress at Allahabad City and Allahabad Jn. Railway Stations.

(d) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

Modernisation of Railway Stations In Uttar Pradesh

S. No.	Particulars of works
	Details of wotks in progress at Allahabad City
1	Changing of G.I. sheet by RCC in IInd Class Waiting Hall and IInd Class Booking Office.
2	Extension of platform covering towards stair cases F.O.B.
3	Improvement to main platform surface with bituminous mosaic flooring.
4	Covering space between existing P.F. Shelter & 2nd Class Waiting Hall.
	Derails of works in progress at Allahabad Junction
1	Provision of a 125 bedded Rail Yatri Niwas.
2	Extension of platform No. 4.
3	Provision of two additional platforms.

Issue of Bonds by Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited

*15. SHRI VITHALBHAI M. PATEL:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat Government have requested the Central Government to permit Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited for issuing bonds to finance Sardar Sarovar Project; and

(b) if so, what are the reasons for delay in granting permission?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) According to the present policy only Central Government Public Sector Undertakings have been allowed to raise bonds and the State Sector projects are not eligible to raise such bonds.

मल ढोने की प्रथा का समाप्त किया जाना

*16. श्री अश्विनी कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी टाउन एरिया कमेटी तथा नग पालिकाएं हैं, जहां अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक घरों में पुराने किस्म के शौचालय हैं और जिनका मल मेहतरों द्वारा सिर पर या ठेले में ढो कर ले जाना पड़ता है ;

(ख) देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां आज भी 75 प्रतिशत से अधिक घरों में शौचालय नहीं हैं; या ऐसे शौचालय हैं, जिनका मल मेहतरों को अपने सिर पर उठाना पड़ता है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रतिपादित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार के शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निश्चित की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है (क) से (घ) देश में अलग अलग टाउन एरिया कमेटी तथा नगरपालिकाओं के संबध में ब्यौरा यद्यपि उपलब्ध नहीं है, किन्तु योजना आयोग द्वारा गठित एक कार्यदल ने नेशनल सेम्पल सर्वे के परिणामों के आधार पर अनुमान लगाया है कि 1989 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 72.06 और 24.80 लाख परिवार शुष्क शौचालयों का प्रयोग कर रहे थे।

विवरण

देश में सिर पर मल ढोने की प्रथा का समाप्त किया जाना तथा शुष्क शौचालयों को नई किस्म के शौचालयों में परिवर्तित करना

भारत सरकार ने कम लागत की स्वच्छता तथा सिर पर मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने की एक एकीकृत योजना शुरू की है। इस योजना के एक समयबद्ध रूप में कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को मार्ग-निर्देश परिचालित किये गये हैं। उनसे पालिका उपनियमों में संशोधन करने, जहां आवश्यक है, का भी अनुरोध किया गया है ताकि शुष्क शौचालय के और निर्माण को रोका जा सके। इस योजना में "संपूर्ण नगर दृष्टिकोण" पर विचार किया गया है और इसमें प्रतिवर्ष 500 नगर शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना को राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा अनुशंसित शहरी स्थानीय निकायों को समक्रमिक रूप में केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता और हुडको से ऋण उपलब्ध कराकर हुडको के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना का वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार है:—

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	45 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 50% ऋण और 5% लाभानुभोगी का अंशदान।
निम्न आय वर्ग	25% आर्थिक सहायता, 60% ऋण और 15% लाभानुभोगी का अंशदान।
मध्यम आय वर्ग/ उच्च आय वर्ग	"शून्य" आर्थिक सहायता, 75% ऋण और 25% लाभानुभोगी अंशदान।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने और कम लागत वाले स्वच्छता एककों का निर्माण करने तथा सिर पर मल ढोने वालों के पुनर्वास के लिये किया जाता है।

इस योजना में मानव द्वारा सिर पर मल ढोने की प्रथा को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्भव सीमा तक समाप्त करने की परिकल्पना है।

रेलवे द्वारा जारी किए गए मानद पास

*17. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा जनवरी, 1991 से अप्रैल, 1992 के बीच कितने पास मानद रूप में जारी किए गए;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने पास तत्कालीन रेल मंत्री के आदेश पर जारी किए गए?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) 1.1.91 से 30.4.91